

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 730 / 2017 / सिरौही.

मैसर्स शिल्पा एसोसियेट (प्रा0) लिमिटेड, पाली.

.....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, पाली.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, पाली (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के प्रार्थना-पत्र दिनांक 02.02.2017 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।
3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी का वर्ष 2010-11 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.2013 को बिना सुनवाई के एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था जिसके विरुद्ध उपायुक्त (अपील्स) उदयपुर के समक्ष अपील की जाने पर दिनांक 01.10.2014 को निर्णय देते हुए एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः सुनवाई का मौका देते हुए आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे एवं अपीलीय आदेश में यह भी अंकित किया गया था कि व्यवसायी दिनांक 24.11.2014 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे। दिनांक 24.11.2014 को व्यवसायी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए थे परन्तु उन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। इसके पश्चात् व्यवसायी को दिनांक 02.02.2017 को केवलमात्र मांग वसूली हेतु दूरभाष पर सूचित किये जाने पर उनके द्वारा तुरन्त कार्यालय में सम्पर्क किया जाकर इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित निर्देश के अनुसार आदेश दिनांक 07.08.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 02.02.2017 को प्राप्त की गयी एवं प्रतिलिपि प्राप्त करते समय यह निवेदन किया गया था कि उन्हें

लगातार.....2

3/


दिनांक 02.02.2017 तक कोई आदेश होने की जानकारी नहीं थी। इसके पश्चात् दिनांक 02.02.2017 के आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त कर तुरन्त दिनांक 02.02.2017 को ही एकपक्षीय आदेश को रिओपन करने हेतु अधिनियम की धारा 34 के तहत ओनलाईन आवेदन प्रशासनिक अधिकारी पाली कार्यालय को किया गया, उसके सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर दिये जाने पर लिखित जवाब दिनांक 16.2.2017 को दिया गया जिसमें समस्त परिस्थितियां बताते हुए यह प्रमाणित किया था कि उक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के पूर्व जारी नोटिस कम्पनी के किसी कार्मिक को तामील नहीं करवाया गया बल्कि दिनांक 15.6.2015 के लिये जो नोटिस जारी किया गया था वह उनके पूर्व में कार्यरत एग्जिक्यूटिव श्री विश्वभूषण पाण्डा को तामील करवाया गया था एवं दूसरा नोटिस दिनांक 7.8.2015 के लिये जारी किया गया था वह उनके सेल्स टैक्स सलाहकार के किसी व्यक्ति को तामील करवाया गया था जिसका परिज्ञान अपीलार्थी को नहीं था क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपना कार्यपूर्ण होने के बाद फर्म बंद की जाकर समस्त कार्य दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था।

4. उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारी को यह भी बताया गया था कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने सम्बन्धी प्रथम बार सूचना दूरभाष से प्राप्त हुई थी एवं इससे पहले कोई डिमाण्ड नोटिस या रिक्वरी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु दूरभाष पर जानकारी प्राप्त होते ही उनके द्वारा दिनांक 02.02.2017 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गयी एवं तुरन्त धारा 34 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो समयावधि के भीतर था ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकार करने में विधिक भूल की है क्योंकि अधिनियम की धारा 34 के अनुसार उन आदेशों में जहां किसी व्यवहारी को नोटिस जारी नहीं था अथवा नोटिस जारी होने के बाद उसकी तामील नहीं हो या तामील होने के बाद ऐसा कोई युक्तियुक्त कारण रहा हो जो उन्हें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने से बाधित करे, उन स्थितियों में एकपक्षीय आदेश को रिओपन करने के आदेश किये जा सकते हैं। उन्होंने कथन किया कि इस प्रकरण में उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा दोनों बिन्दुओं पर गलत निर्णय दिया गया है कि उन्हें नोटिस तामील हुआ था एवं धारा 34 के तहत प्रार्थना-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत है। ये दोनों ही आधार उक्त तथ्यों के अनुसार गलत होने से उपायुक्त (प्रशासन) के आदेश को अपास्त करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के आदेश देने का अनुरोध किया।




लगातार.....3

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. रेकॉर्ड के अवलोकन पर यह पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 01.10.2014 के निर्देशों के अनुसार नियत दिनांक 24.11.2014 को कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी जो उनकी कर निर्धारण पत्रावली से प्रमाणित है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के आदेश पत्र में प्रथम बार पत्रावली पर कार्यवाही दिनांक 3.6.2015 को प्रारम्भ की गयी। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 03.06.2015 के पूर्व व्यवहारी के उपस्थित होने या नहीं होने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके अलावा दिनांक 03.06.2015 को जो नोटिस जारी किया जाना बताया गया है उसकी तामील श्री विश्वभूषण पाण्डा को होना अंकित है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि श्री विश्वभूषण पाण्डा माह जून से ही उनके कार्यालय से अनुपस्थित रहे थे जिनकी उपस्थिति पंजिका भी उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। साथ ही अधिकृत एग्जिक्यूटिव श्री दीपक पाण्डा द्वारा अपने शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें श्री विश्वभूषण पाण्डा का नौकरी छोड़ देना बताया गया था, जिसे खण्डित नहीं किया गया है। इसके अलावा दूसरा नोटिस कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 04.07.2015 को तामील होना बताया गया है, उस नोटिस की प्रति के अवलोकन पर पाया कि उसमें श्री सुरेश प्रजापत नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, जिसमें C/o गेमावत एण्ड कम्पनी लिखा हुआ है। इससे यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी को दिनांक 5.8.2015 के लिये कोई नोटिस तामील नहीं हुआ एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 7.8.2015 पारित करने के बाद जो डिमाण्ड नोटिस तामील करना बताया गया है वह पुनः श्री विश्वभूषण पाण्डा को दिनांक 2.9.2015 को करना बताया गया है परन्तु उसके नौकरी छोड़ देने की वजह से उसकी तामीली माना जाना अविधिक है। यह भी पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 7.8.2015 को आदेश पारित करने के बाद अगले डेढ़ वर्ष तक भारी मात्रा में सृजित मांग रूपये 14,07,000/- की रिकवरी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जिससे यह प्रमाणित होता है कि आदेश एकतरफा पारित कर पत्रावली पर रखा गया है एवं व्यवसायी को किसी आदेश की जानकारी नहीं हो सकी, परन्तु अपीलार्थी के कथन अनुसार उन्हें टेलीफोन पर मांग जमा कराने के निर्देश प्राप्त


 लगातार.....4

होने पर उनके द्वारा तुरन्त ही दिनांक 02.02.2017 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रकरण को रीओपन कराने हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया, जो निश्चित रूप से समयावधि में आवेदन किया जाना प्रमाणित होता है।

8. उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रतिप्रेषित आदेश को पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया था एवं यह भी जाहिर है कि अपीलार्थी कम्पनी को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था तथा कर निर्धारण आदेश की प्रति भी दिनांक 02.02.2017 को ही प्रथम बार प्राप्त हुई थी क्योंकि जो नोटिस एवं कर निर्धारण आदेश तामील होने की रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गयी है वह व्यक्ति इस कम्पनी से सेवायें छोड़ चुका था।

9. फलतः न्यायहित में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 30.10.2018 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

10. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(क. एल. जैन)
सदस्य